वित्त निर्देश- 10/2023

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 106/एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28.02.2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषय :- **पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर मृत्यु/अशक्तता के प्रकरण में परिवार पेंशन/अशक्त पेंशन** (Invalid Pension) **का भुगतान।**

संदर्भ :-
1. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का ज्ञापन क्रमांक 202/एफ-2016-04-03289/वित्त/नियम/चार, दिनांक 08.04.2022।
2. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का ज्ञापन क्रमांक 244/एफ-2016-04-03289/वित्त/नियम/चार, दिनांक 26.04.2022।
3. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022।
4. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का ज्ञापन क्रमांक 632/एफ-2016-04-03289/वित्त/नियम/चार, दिनांक 20.09.2022।

--00--

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार, दिनांक 20.01.2023 के द्वारा दिनांक 01-11-2004 से 31-03-2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए **पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस. में यथावत् बने रहने** के विकल्प का प्रावधान किया गया है। उक्त अवधि में शासकीय सेवक/मृतक शासकीय सेवक के मामलों में मृतक के परिवार पेंशन हेतु पात्र नॉमिनी के द्वारा विकल्प प्राप्त करने एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु वित्त निर्देश- 03/2023 जारी किया गया है। उक्त व्यवस्था में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवक/मृत शासकीय सेवकों के परिवार पेंशन हेतु पात्र नॉमिनी के प्रकरणों में उन्हें पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं-

1/ पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवक/मृतक शासकीय सेवक के मामलों में मृतक के परिवार पेंशन हेतु पात्र नॉमिनी से कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विकल्प एवं राशि के समायोजन हेतु सहमति पत्र प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त विकल्प प्रस्तुत करने वाले शासकीय कर्मचारी के द्वारा PRAN खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि का पृथक-पृथक चालान शासकीय कोष में जमा किया जाएगा। जमा की गई राशि के चालान की प्रति प्राप्त करने के बाद ही पेंशन प्रकरण तैयार करने की कार्यवाही की जाएगी।

......2

2/ पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर मृत्यु/अशक्तता के प्रकरण में परिवार पेंशन/अशक्त पेंशन (Invalid Pension) का भुगतान एवं एन.पी.एस. के अंतर्गत PRAN खाते से राशि आहरण की प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार प्रावधान निर्धारित किया जाता है-

(अ) ऐसे कर्मचारी/नॉमिनी जिन्हें PRAN में जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, PFRDA की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 की कंडिका 6 (ड) के अनुसार PRAN में जमा संपूर्ण राशि संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन के चालू खाते में ट्रस्टी बैंक से वापस प्राप्त किया जायेगा। इस हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला कोषालय अधिकारी के माध्यम से NSDL द्वारा निर्धारित एनेक्जर--I तथा एनेक्जर-II मे अनापत्ति प्रमाण पत्र भर कर संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रेषित करेंगे। उपरोक्तानुसार ट्रस्टी बैंक से प्राप्त कुल कार्पस राशि में से शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित शासन का लाभांश पृथक-पृथक चालान के माध्यम से संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन के द्वारा निर्धारित मद में जमा किया जावेगा तथा अभिदाता का अंशदान एवं उस पर उपार्जित लाभांश संबंधित शासकीय सेवक/नॉमिनी के बैंक खाते में जमा किया जावेगा। शासन को वापसी योग्य राशि संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा शासकीय कोष में जमा किये जाने के उपरांत ही परिवार/अशक्त पेंशन (Invalid Pension) भुगतान आदेश (PPO) जारी किया जावेगा। यदि शासकीय सेवक अथवा मृत शासकीय सेवकों के मामले में नॉमिनी द्वारा एन.पी.एस. अंतर्गत बने रहने का विकल्प दिया जाता है तो एन.एस.डी.एल. से संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के खाते में प्राप्त संपूर्ण राशि शासकीय सेवक अथवा मृत शासकीय सेवकों के मामले में नॉमिनी को वापस की जाएगी।

(ब) PFRDA की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 के तहत कुल जमा राशि 2 लाख के बराबर या उससे कम तथा अधिसूचना दिनांक 14 जून 2021 के तहत कुल जमा राशि 5 लाख के बराबर या उससे कम होने के फलस्वरूप कर्मचारी/नॉमिनी के द्वारा PRAN में जमा पूर्ण राशि का आहरण कर लिया गया है, ऐसे प्रकरणों में कुल भुगतान राशि में से शासकीय अंशदान तथा उस पर अर्जित शासन का लाभांश पृथक-पृथक चालान के माध्यम से संबंधित शासकीय सेवक/नॉमिनी के द्वारा अनिवार्यतः शासकीय कोष में जमा किया जावेगा। शासन को वापसी योग्य राशि कर्मचारी/नॉमिनी के द्वारा शासकीय कोष में वापस जमा किये जाने के उपरांत ही परिवार/अशक्त पेंशन (Invalid Pension) भुगतान आदेश (PPO) जारी किया जावेगा।

(स) ऐसे प्रकरण जिसमें कर्मचारी/नॉमिनी के द्वारा PRAN में कुल जमा राशि का 20% एकमुश्त आहरण कर लिया गया है एवं 80% राशि का वार्षिकी क्रय किया गया है, ऐसे प्रकरणों में कुल भुगतान राशि (80% वार्षिकी एवं 20% एकमुश्क्त आहरण) में से शासकीय अंशदान तथा उस पर अर्जित शासन का लाभांश पृथक-पृथक चालान के माध्यम से संबंधित शासकीय सेवक/नॉमिनी के द्वारा अनिवार्यतः शासकीय कोष में जमा किया जावेगा। शासन को वापसी योग्य राशि कर्मचारी/नॉमिनी के द्वारा शासकीय कोष में वापस जमा किये जाने के उपरांत ही परिवार/अशक्त पेंशन (Invalid Pension) भुगतान आदेश (PPO) जारी किया जावेगा।

......3

(द) ऐसे प्रकरण जिसमें कर्मचारी/नॉमिनी के द्वारा PRAN में जमा कुल राशि का 20% तक एकमुश्त आहरण कर लिया गया है तथा शेष राशि का वार्षिकी क्रय नहीं किया गया है। ऐसे प्रकरणों में शेष राशि संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन के चालू खाते में ट्रस्टी बैंक से वापस प्राप्त किया जायेगा। ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी/नॉमिनी द्वारा 20% राशि के आहरण दिनांक को PRAN में कुल जमा राशि का 50% अर्थात् PRAN में कुल जमा नियोक्ता अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ की राशि चालान के माध्यम से संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा शासन के प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा किया जावेगा। समायोजन के पश्चात् शेष राशि संबंधित कर्मचारी/नॉमिनी के बैंक खाते में जमा किया जावेगा। शासन को वापसी योग्य राशि का संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा वापस किये जाने के उपरांत ही परिवार/अशक्त पेंशन (Invalid Pension) भुगतान आदेश (PPO) जारी किया जावेगा ।

3/ सेवानिवृत्ति उपरांत संबंधित शासकीय सेवक/मृत शासकीय सेवक के नॉमिनी द्वारा PRAN खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक उपार्जित लाभांश को निम्नलिखित लेखा शीर्ष में पृथक-पृथक चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा करना होगा -

(अ) एन.पी.एस. के अंतर्गत प्राप्त शासन का अंशदान -	(ब) एन.पी.एस. के अंतर्गत प्राप्त शासकीय अंशदान पर प्राप्त लाभांश -
मुख्य लेखा शीर्ष - 8229 - विकास और कल्याण निधि लघु लेखा शीर्ष - 200 - अन्य विकास और कल्याण निधि योजना क्रमांक - 0088 - पेंशन निधि	मुख्य लेखा शीर्ष - 8229 - विकास और कल्याण निधि लघु लेखा शीर्ष - 200 - अन्य विकास और कल्याण निधि योजना क्रमांक - 0667 - शासकीय अंशदान(एन.पी.एस.) पर प्राप्त लाभांश

4/ ऐसे प्रकरण जिसमें कर्मचारी द्वारा शासन को देय राशि अत्यधिक है, ऐसी स्थिति में शासन के पक्ष में देय राशि शासकीय सेवक के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर निम्न माध्यमों से राशि का समायोजन किया जा सकेगा। यथा- **1. अवकाश नगदीकरण 2. सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान 3. समूह बीमा योजना।**

इन निर्देशों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की होगी। संयुक्त संचालक- कोष, लेखा एवं पेंशन भुगतान आदेश करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि पेंशन की पात्रता हेतु सभी मापदण्डों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

.....4

पृ.क्र.107 / एफ 2016–04–03289 / वि / नि / चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 / 02 / 2023

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

– को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव